न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज0)

बइजलास अम्बालाल मीणा (आर.ए.एस.)

मि0न0– 2/2016

रतनलाल आयु 42 वर्ष आत्मज श्री रामदेव जाति माली निवासी ग्राम खजूरणा तह0 कनवास जिला कोटा

– प्रार्थीगण

बनाम

कंवरलाल पुत्र श्री रामनारायण आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी खजूरी तह0 कनवास जिला कोटा

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आरटीएक्ट

निर्णय– 11-2-16

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राथीर्गगण द्वारा प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आरटीएक्ट मे प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि ग्राम खजूरी तहसील कनवास में अन्य खसरा न्मबरान की कृषि भूमियों के साथ ख.न. 602 (छोटा कुआ) 2 बिस्वा गै0मु0चाह जिसके बाद सेटलमेन्ट ख.न. 1017 का 0.02 है0 रकबा कायम हुआ है स्थित है। जो वर्तमान राजस्व अभिलेखो में अप्रार्थी न.1 व प्रतिवादी नं. 2 मांगीबाई प्रतिवादी न. 3 ग्यारसी बाई नटीबाई तथा प्रतिवादी न. 4 नटीबाई व माग्या जिसके प्रतिवादी न.6 शान्तिबाई (पत्नि) प्रतिवादी न.7 सत्यनारायण(पुत्र) प्रतिवादी न.8 गीताबाई (पुत्री) प्रतिवादी न.9 लीलाबाई (पुत्री) पक्षकार बने है के संयुक्त खाते में स्थित हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित ख.न. 1017 की 0.02 है0 रकबा (छोटा कुआ) गै.मु.चाह सवत 2001 में मिती कार्तिक सुदी अमावस्या को प्रार्थी के पिता रामदेवजी ने निजामत से आम निलामी मे दिनांक 9.8.1945 को 160 रूपये में खरीद किया था। जो उनके एक स्वामित्व का था। लेकिन राजस्व अभिलेखो मे उक्त कुआ स्वर्गीय श्री रामदेव जी का प्रार्थी एक मात्र उत्तराधिकारी होते हुऐ भी सहवन से प्रतिवादी नं.1 लगायत 4 मृतक माग्या के सहखातेदारी में चला आ रहा है। जिनका नाम हटाकर स्मपूर्ण कुआ प्रार्थी की खातेदारी मे होने की धोषणा का वाद प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में पेश कर रखा है। अप्रार्थी जबरन नीव खोद कर बिना किस्म प्ररिर्वतन करवाये मकान का निर्माण करने पर आमादा है। प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

सहायता अप्रार्थी न.1 के विरूद्व चाहिए इसलिए अन्य प्रति.गण को पक्षकार नही बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थी एवं उसके एजेन्टो के विरूद्व ताफैसला मुकदमा इस आशय की अस्थाई निषेघाज्ञा पारित की जावे कि ग्राम खजूरी तहसील कनवास के ख.न. 1017 0.02 है0 हाल सेटलमेटं से पूर्व के खसरा न. 602 की 0.2 बिस्वा भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी गई । अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर एक तरफा कार्यवाही की गई । बहस प्रार्थना पत्र एक तरफा सुनी गई । वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यो को दोहराते हुऐ कथन किया कि ग्राम खजूरी तहसील कनवास के ख.न. 1017 0.02 है0 हाल सेटलमेटं से पूर्व के खसरा न. 602 की 0.2 बिस्वा भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

हमने बहस एवं प्रार्थना पत्र अंकित रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में मौजूद जमाबंदी सम्वत् 2062– 2069 में कंवरलाल पुत्र रामकल्याण ,मोनीबाई,ग्यारसीबाई, नटीबाई,पुत्रिया रामकल्याण,रतनलाल, पुत्र रामदेव हि. 2/3 मांग्या पुत्र भवंरलाल, हि. 1/3 कौम माली सा.देख खातेदार नामा.न.47,170 दर्ज रकार्ड हैं । प्रार्थी द्वारा अवगत करवाया है कि पूर्व में एक वाद वास्ते उद्घोषणा बटवारा अ0धा0 88,53,54 आरटीएक्ट मि0 न0 523/97 हाल मि0न0 66/2014 रतनलाल बनाम कंवरलाल वगै0 न्यायालय में हाजा में विचाराधीन है जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा अब कंवरलाल अप्रार्थी जबरन नीव खोद कर बिना किस्म प्रर्विर्तन करवाये मकान का निर्माण करने पर आमादा है। प्रार्थीगण अन्य सहखातेदार के साथ जामाबंदी सम्वत् 2062– 2069 में खातेदार दर्ज है। पूर्व मे वाद भी विचाराधीन है। इस प्रस्थिति में प्रार्थी को प्रकरण प्रथम दृष्ट्या ठोस प्रकरण बनता है। सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णर्णीय क्षति भी उनके पक्ष में मानी जावेगी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुऐ प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी कंवरलाल एव उसके एजेन्टो के विरूद्व ताफैसला मुकदमा इस आशय की अस्थाई निषेघाज्ञा पारित की जाती हैं कि ग्राम खजूरी तहसील कनवास के ख.न. 1017 0.02 है0 हाल सेटलमेटं से पूर्व के खसरा न. 602 की 0.2 बिस्वा भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)
कनवास

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
कनवास, जिला कोटा